भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 929
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025
सोमवार, 21 माघ 1946 (शक(

महिला उद्यमिता योजनाएं

929. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :श्री ज्ञानेश्वर पाटील :श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क(विगत पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के संभाजीनगर में (औरंगाबाद)उद्यमिता योजनाओं से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ख(सरकार द्वारा उक्त राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को लक्ष्य करते हुए कौनकौन से - विशेष कार्यक्रमकार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ग(क्या सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता उपाय शुरू करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (तंत्र प्रभारस्व)
(श्री जयन्त चौधरी(

(क) से (ग) भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताएं विकसित करने, महिला-नीत वाले उद्यमों के विकास का समर्थन करने तथा महिलाओं में उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) सहित देश भर में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों में उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान की गई ऐसी कुछ पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, महिला उद्यमियों सहित उद्यमियों का संवर्धन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। दादरा एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) में अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

<u>अनुबंध-I</u>

"महिला उद्यमिता योजनाओं" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत पांच वर्षों के दौरान महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. संकल्प योजना के अंतर्गत क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, सलाह और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना - निसबड के माध्यम से एमएसडीई ने दिसंबर 2022 से एमएसडीई की आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना के समर्थन से समाज के विभिन्न सीमांत वर्गों और महिलाओं के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का सृजन, प्रोत्साहन और संवर्धन करना है। संकल्प को तीन चरणों में कार्यान्वित किया गया है। संकल्प 1 के अंतर्गत वित्तीय-वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23825 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 13,861 महिलाएं हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 2166 महिला लाभार्थी शामिल हैं। संकल्प 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23841 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18270 महिलाएं हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 1819 महिला लाभार्थी शामिल हैं। संकल्प 3 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 4274 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2970 महिलाएं हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की 755 महिला लाभार्थी शामिल हैं।

2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) - एमएसडीई के औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) के तहत, निसबड ने अक्तूबर 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए सफलतापूर्वक ईडीपी प्रशिक्षण आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में वित्त-वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजना के तहत कुल 4773 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1195 महिलाएं शामिल हैं।

3. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थान, निसबड के माध्यम से मार्च 2024 से विशेष रूप से निर्बल आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक को लागू कर रहा है। यह परियोजना

देश भर के 18 राज्यों में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 2024-25 के दौरान परियोजना के अंतर्गत कुल 4851 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 3587 महिलाएं शामिल हैं।

4. पीएम स्व-निधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना - एमएसडीई ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से पीएम स्व-निधि लाभार्थियों के लिए फरवरी 2024 में प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना (आरयूवीपी) शुरू की, जिसमें निसबड कार्यान्वयन भागीदारों में से एक है। परियोजना के माध्यम से, 10 शहरों में 1,744 पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें महिलाओं की 40% से अधिक भागीदारी थी। कार्यक्रम में एक सप्ताह का कक्षा प्रशिक्षण और उसके बाद 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और सहायता शामिल थी। मध्य प्रदेश राज्य में वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के अंतर्गत कुल 180 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 137 महिलाएँ शामिल हैं।

5. **जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाना** - निसबड ने अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, सलाह और मार्गदर्शन के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, प्रोत्साहन और संवर्धन करना है। मध्य प्रदेश राज्य में वित्त-वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 630 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 545 महिलाएँ शामिल हैं।

6. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रायोगिक परियोजना – निसबड ने जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समर्थित 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सलाह और सहायता के माध्यम से लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना पैदा करना, उसे बढ़ावा देना और बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश राज्य में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 700 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 477 महिलाएँ शामिल हैं।

अनुबंध-II

महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। जीएसआर अधिसूचना 127 (ई) दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्ट-अप' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 दिसंबर 2024 तक, 1,57,706 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 75,935 संस्थाओं ने स्वयं रिपोर्ट किया है कि उनके पास कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार हैं। डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त 75,935 संस्थाओं में से, जिन्होंने स्वयं रिपोर्ट किया है कि उनके पास कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार हैं, 34 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से हैं, 2,396 मध्य प्रदेश से हैं और 13,947 महाराष्ट्र से हैं।

इसके अलावा, सरकार देश भर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत विशिष्ट पहल/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ऐसी पहलों का विवरण इस प्रकार है:

i. महिला-नीत वाले स्टार्टअप्स को इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना में निधि का 10% महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स के लिए आरक्षित है।

ii. महिला-नीत वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ एआईएफ को भी दिया जाता है जो महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप्स पर केंद्रित हैं।

iii. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्थान संवितरण/बकाया राशि का 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों की इकाइयों के लिए, सदस्य संस्थान संवितरण/शेष राशि का 1.5% प्रति वर्ष की मानक दर का भुगतान करता है।

iv. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप के लिए एक अनूठा क्षमता विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में पहचानना और उनका समर्थन करना है। कार्यशालाएँ तकनीक, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएँ उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं। विंग कार्यशालाएँ

चुनौतियों पर काबू पाने में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडलों से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाती हैं।

v. महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें महिला-नीत वाले टेक स्टार्ट-अप को निःशुल्क त्वरण सहायता प्रदान की गई।

vi. स्टार्ट-अप इंडिया हब: स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज तैयार किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

vii. असेंड स्टार्ट-अप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्ट-अप के लिए महिला कार्यशालाएँ: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्ट-अप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला – असेंड (स्टार्ट-अप कैलिबर और उद्यमशीलता अभियान को गति देना) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएँ पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्ट-अप, महत्वाकांक्षी उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे इकोसिस्टम के हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।

viii. सुपरस्ट्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों की अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्ट्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। पॉडकास्ट महिलाओं के नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाता है और देश में महिला उद्यमिता को और मजबूत करता है।

ix सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करती हैं।

x स्टार्ट-अप के लिए महिलाएँ: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों के लिए राज्य कार्यशालाएँ राज्यों में आयोजित की गईं। कार्यशालाएँ सरकारी योजना जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर केंद्रित थीं।

xi. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने का एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और विशेष प्रोत्साहनों के निर्माण और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। विशेष कार्य बिंदु में सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उसके बाद भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

xii. देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्ट-अप को मान्यता देता है और बढ़ावा देता है। एनएसए के

सभी चार संस्करणों (वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 और वर्ष 2023) में महिला-नीत वाले स्टार्ट-अप के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल हैं।

xiii. पिच फॉरवर्ड महिला उद्यमियों, खासकर गैर-महानगरों से, को प्रमुख निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने की पहल है। यह विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को सीधे वेंचर कैपिटल फंड से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

2. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** नवाचार आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू कर रहा है और उसे कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, इसलिए इस योजना के तहत राज्य-वार और जिले-वार प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते और उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती। यह योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित पूरे देश से महिला प्रतिभागियों को उद्यमशीलता को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। विगत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में नवाचार आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता के क्षेत्र में महिला प्रतिभागियों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी)				
		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1.	मध्य प्रदेश	9	364	-	87	125
2.	महाराष्ट्र	-	168	-	58	210

3. **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** - "भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' को कार्यान्वित करती है। मिशन शक्ति की अम्ब्रेला योजना में दो उप-योजनाएँ हैं, जिनके नाम "संबल" और "सामर्थ्य" हैं।

'सामर्थ्य' उप-योजना में एक घटक है, अर्थात महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू), जिसे संकल्प के रूप में जाना जाता है: एचईडब्ल्यू (महिलाओं के पोषण और ज्ञान-आधारित उन्नति, अंतिम-मील वितरण और क्षमता प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई: महिला सशक्तीकरण केंद्र), महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें एक ऐसा वातावरण बनाने का अधिदेश है जिसमें महिलाएं महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतराल को दूर करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का एहसास करती हैं और सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देती हैं।

एचईडब्ल्यू के अंतर्गत सहायता का उद्देश्य महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ना, उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग करना, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, पिछड़े और आगे के संबंध, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पूरे

देश में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को सुगम बनाना शामिल है।

संकल्प: एचईडब्ल्यू को पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील है। अब तक, कुल 35 राज्य संकल्प: एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू क्रियाशील हैं।

4. **किसान कल्याण विभाग किसानों और कृषि** उद्यमियों, जिनमें महिला कृषि उद्यमी भी शामिल हैं, के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

कृषि-क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी) अप्रैल, 2002 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास का समर्थन करने और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) और नाबार्ड के सहयोग से सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर के साथ-साथ बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों और कृषि में इंटरमीडिएट के अलावा विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।

5. **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय** फरवरी 2016 से 30 सितंबर, 2024 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को कार्यन्वित कर रहा था। इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अभेद्यता को कम करना था, ताकि उन्हें लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच मिल सके, ताकि महिलाओं सहित शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करके उनकी आजीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। स्व-सहायता समूह (एसएचजी) केवल महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में विगत 5 वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष (दिनांक 27.01.2025 तक) सहित डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत सृजित महिला रोजगार इस प्रकार है:

- नियुक्त कुशल उम्मीदवारों की संख्या:- 47,013
- गठित एसएचजी सदस्यों की संख्या:- 3,94,592
- व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या - 17,174
- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत ऋण वितरित करने वाली एसएचजी महिला सदस्यों की संख्या- 1,35,039

महाराष्ट्र राज्य में विगत 5 वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष (दिनांक 27.01.2025 तक) सहित डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत सृजित महिला रोजगार इस प्रकार है:

 नियुक्त कुशल उम्मीदवारों की संख्या:- 41,451
 गठित स्व-सहायता समूह सदस्यों की संख्या:- 5,87,514
 व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या- 16,226
 बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वितरित करने वाली स्व-सहायता समूह महिला सदस्यों की संख्या- 4,42,056
 विगत पांच वर्षों के दौरान संभाजीनगर में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कुल 305 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिला।

6. **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** ने अल्पसंख्यक महिला-नीत विकास कार्यक्रम नई रोशनी करुयान्वित किया है, जिसे वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किया गया था, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था। प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए वकालत से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नई रोशनी योजना को अब एक घटक के रूप में 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' नामक एक एकीकृत योजना में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके निम्नलिखित तीन उप-घटक हैं:

 नेतृत्व और बुनियादी उद्यमशीलता विकास;
 उद्यमशीलता विकास
 बिजनेस मेंटर/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बिज सखी/उद्यमी मित्र)।

विगत पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नई रोशनी योजना से लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	विगत पांच वर्षों में कुल लाभार्थी (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक)
1	दादरा और नगर हवेली	-
2	मध्य प्रदेश	3,875
3	महाराष्ट्र	675

7. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई)** ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफ़एमई) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का विशेष ध्यान कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में सम्बद्ध समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ समर्थन देने पर है। एसएचजी के सदस्य कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए प्रति सदस्य 40,000 की बीज पूंजी प्राप्त

कर सकते हैं। यह योजना एफ़पीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के समूहों को ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% वित्तीय अनुदान भी प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के तहत, मध्य प्रदेश राज्य में 717 महिला एसएचजी लाभार्थियों को बीज पूंजी से लाभ मिला और संभाजीनगर (औरंगाबाद) से 962 महिला एसएचजी लाभार्थियों को लाभ मिला।

8. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)** – उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की सतत योजना है, जिसे नवंबर 2019 में बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एससी/एसटी महिलाओं, शारीरिक रूप से दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा लोगों को स्व-रोजगार या उद्यमशीलता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है। अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना है। 25.3.2022 को स्वीकृत नई ईएसडीपी गाइडलाइन में पांच घटक हैं:

i. उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)
ii. उद्यमशीलता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी)
iii. एडवांस ई- एसडीपी - यह घटक नया जोड़ा गया है और इसे आईआईटी/आईआईएम/आईसीएआर/बीएआरसी/राज्य/केंद्र सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किया जाना है।
iv. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)
v. एडवांस एमडीपी- इसे 15वें वित्त आयोग के लिए स्वीकृत नई गाइडलाइन में नया जोड़ा गया है जिसमें एडवांस ई-एसडीपी घटक जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान ईएसडीपी योजना के तहत प्रशिक्षित महिला लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय-वर्ष	लाभार्थी महिलाओं की संख्या
1.	2020-21	13705
2.	2021-22	25371
3.	2022-23	121058
4.	2023-24	201706
5.	2024-25 (दिनांक 03.02.2025 तक)	173277
योग		**535117**

विगत पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और संभाजीनगर (औरंगाबाद), महाराष्ट्र में ईएसडीपी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीओय-वर्ष	लाभार्थी महजिलाओं की संख्या		
		दादरा और नगर हवेली	मध्य प्रदेश	(संभाजीनगर) (औरंगाबाद) महाराष्ट्र
1.	2020-21	117	479	60
2.	2021-22	172	884	31
3.	2022-23	295	22001	248
4.	2023-24	320	22636	472
5.	वर्ष 2024-25 (दिनांक 03.02.2025 तक)	346	32999	910
योग		**1250**	**78999**	**1721**

9. वस्त्र मंत्रालय संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग आधारित, नियोजनोन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता-निर्माण योजना) को कार्यन्वित कर रहा है, जिसमें संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है। समर्थ को पूरे देश में मांग आधारित आधार पर कार्यान्वित किया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं, एससी/एसटी आदि जैसे हाशिए के सामाजिक समूहों को प्राथमिकता दी गई है। दिनांक 07.02.2025 तक, 3,59,037 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है और इनमें से 3,16,275 महिलाएं हैं और मध्य प्रदेश में 7,086 महिला लाभार्थी हैं तथा दादरा और नगर हवेली में 1,261 महिला लाभार्थी हैं।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: अनुसूचित जाति (वीसीएफ-एससी) और पिछड़ा वर्ग (वीसीएफ-बीसी) महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई और आईएफसीएल वेंचर कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की गई वेंचर कैपिटल फंड, क्रमशः 3.75% और 5.75% की कूपन दरों पर रियायती वित्त प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। वीसीएफ-एससी के तहत "अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)" योजना के तहत 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर युवा महिला शोधकर्ताओं और छात्रों को उनके नवाचार के साथ बढ़ावा देता है। इन योजनाओं के तहत, पिछले पांच वर्षों के दौरान औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 5 महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है। इसके अलावा, एससी महिला छात्रों/शोधकर्ताओं और टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई), अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) 3 वर्ष में 30 लाख रुपए इक्विटी फंडिंग के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वे अपने स्टार्ट-अप विचारों को व्यावसायिक उद्यमों में बदल सकें। सफल उद्यम आगे वीसीएफ़-एससी से 15 करोड़ रुपए तक के उद्यम वित्त-पोषण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, ताकि वे अपने स्टार्ट-अप विचारों को व्यावसायिक उद्यमों में बदल सकें।

*****